राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क0एफ.4(20)महिला सभा / विधि / पंरा / 12 / 876 जयपुर,दि0 12-12-13

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   ज़िला परिषद, समस्त, राजस्थान।

2. विकास अधिकारी,
   पंचायत समिति, समस्त, राजस्थान ।

विषयः–महिला सभाओं के आयोजन हेतु दिशा–निर्देश ।

राज्य सरकार द्वारा महिला केन्द्रित मुद्दों यथा प्रतिकूल बाल लिंग अनुपात (Adverse Child Sex Ratio), सार्वजनिक स्थलों पर महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, समय से पूर्व मातृत्व आदि बिन्दुओं के साथ–साथ विभिन्न योजनाओं की कियांविति के संबंध में आ रही समस्याओं पर चर्चा कर हल निकालने एवं विकास योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी दर्ज़ कराने के लिए पहल करते हुए गत 19 नवम्बर, 2012 को पूरे प्रदेश में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन करवा कर, इनमें **महिला सभा** के गठन का प्रस्ताव पारित करवाया गया है । इस प्रकार से पंचायतों को स्थानीय सरकार के रूप में सौंपी गई– सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की संवैधानिक ज़िम्मेदारी को व्यवहार में लाने के लिए गांव की महिलाओं को भी अपने विकास–मुद्दे तय करने के लिए, **महिला सभा** जैसा उचित मंच उपलब्ध करवाया जा चुका है ।

राज्य सरकार की यह भी मंशा है कि महिलाऐं सिर्फ महिला केन्द्रित मुद्दों तक ही सीमित नहीं रहें, अपितु वे राज्य के सर्वांगीण विकास में भी बराबर की भागीदारी अदा करें । अतः यह उचित समझा गया है कि **वित्तीय वर्ष 2014–15 की वार्षिक योजना में महिलाओं के विचारों एवं निर्णयों को महत्व दिया जावे** । राज्य सरकार की इस भावना को साकार करने के लिए आप निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करावें:–

1. वर्ष 2014–15 की वार्षिक योजना को ग्रामसभा से तैयार एवं पारित करवाये जाने के लिए राज्यभर में माह जनवरी, 2014 के अंतिम सप्ताह से फरवरी, 2014 के प्रथम सप्ताह तक की अवधि में ग्राम सभाओं के आयोजन किये जावेंगे । वार्षिक योजना के पारित किये जाने हेतु इस अवधि में ग्राम सभाओं का आयोजन किये जाने के लिए निश्चित तिथि एवं एजेण्डा बिन्दुओं के साथ विस्तृत दिशा–निर्देश, विभाग द्वारा आपको यथासमय प्रेषित किये जावेंगे । इस संबंध में आप आपकी अधिकारिता के ज़िले / पंचायत समिति क्षेत्र में उपर्युक्तानुसार **वित्तीय वर्ष 2014–15 की योजना को पारित करने के लिए आयोजित होने वाली ग्राम**

सभाओं की आयोजन तिथि से 10–15 दिन पूर्व प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर महिला सभाओं का आयोजन करवाया जाना सुनिश्चित करावें ।

2. ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली महिला सभाओं में विचारणीय बिन्दु (Agenda) :–
   - वार्षिक योजना 2014–15 को ग्राम सभा से तैयार करने एवं पारित करवाये जाने हेतु आयोजित की जाने वाली ग्रामसभाओं के संबंध में बिन्दु सं01 के अनुसार आपको इस प्रयोजनार्थ निकट भविष्य में विभाग के द्वारा जो मार्ग–दर्शन मय एजेण्डा के भिजवाया जावेगा, वो समस्त एजेण्डा बिन्दु रखा जावे ।
   - इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दु विभागीय पत्र क्र0 2326 दिनांक 30.10.2012 में वर्णित Agenda के अनुसार ही होंगे ।

3. संबंधित ग्राम सेवक द्वारा इन महिला सभाओं के कार्यवाही विवरण को तैयार किया जाकर, लिये गए निर्णयों/प्रस्तावों को आवश्यक रूप से बिन्दु सं0 1 के अनुसार माह जनवरी, 2014 के अंतिम सप्ताह से फ़रवरी, 2014 के प्रथम सप्ताह तक की अवधि में वित्तीय वर्ष 2013–14 की योजना को पारित करने के लिए आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा, ताकि ग्राम सभा द्वारा इन महिला सभाओं में पारित किये गए प्रस्तावों/निर्णयों पर विचार किया जाकर इन्हें ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना में सम्मिलित किया जा सके ।

4. ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली इन महिला सभाओं में महिलाओं की अधिक से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए महिला सभा की तयशुदा तिथियों की जानकारी– ग्राम पंचायत के महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्याओं के माध्यम से, आंगनवाड़ी केन्द्रों व महिला मण्डलों के माध्यम से, वार्ड पंचों एवं समस्त महिला विकास कर्मियों के माध्यम से, गांव के स्कूलों में घोषणा कराकर, गांव में डोंडी पिटवाकर/मुनादी कराकर महिला सभा की तिथि, स्थान एवं समय की पूर्व सूचना दी जावे और उन्हें सभा में भाग लेने हेतु प्रेरित किया जावे ।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप उपर्युक्तानुसार महिला सभाओं का सफलतापूर्वक आयोजन सम्पन्न करवा कर, इन सभाओं में महिलाओं द्वारा लिये गए प्रस्तावों/निर्णयों को ग्रामसभाओं के समक्ष प्रस्तुत कर, ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना में महिलाओं की भागीदारी होने की राज्य सरकार की भावना को अवश्य साकार करेंगे ।

(अपर्णा अरोरा)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर ।
2. संयुक्त सचिव(आयोजना), मुख्यालय ।
3. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
4. रक्षित पत्रावली ।

उप शासन सचिव(विधि)